इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 167] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 अप्रैल 2017—चैत्र 30, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2017

क्र. 6320-78-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 12 अप्रैल 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् २०१७

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०१७

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा १ का संशोधन.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा १६ का संशोधन.
५. धारा २३-क का संशोधन.
६. धारा २३-ग और २३-घ का अंत:स्थापन.
७. धारा ३४ का लोप.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् २०१७

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०१७

[दिनांक १२ अप्रैल, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २० अप्रैल, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

धारा १ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १ में, उपधारा (४) में,—

(एक) खण्ड (ख) में, सेमी-कोलन के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु रक्षा संकर्म अधिनियम, १९०३ (१९०३ का ३) के उपबंध के अधीन प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में घोषित और अधिसूचित क्षेत्र में निवेश अनुज्ञाएं प्राप्त करने के लिए कमान अधिकारी से पूर्विक अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपेक्षित है;";

(दो) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ग) रेल अधिनियम, १९८९ (१९८९ का २४) के अधीन, रेल प्रशासन के नियंत्रणाधीन भूमियों को,".

धारा २ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा २ में,—

(एक) खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(छ क) "विकास अधिकार प्रमाण-पत्र (डी आर सी)" से अभिप्रेत है, इसके धारक को स्थानांतरणीय विकास अधिकार प्रदान करने वाला और राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ;

(छ ख) "विकास अधिकार प्रमाण-पत्र लेखा" से अभिप्रेत है, प्राधिकारी द्वारा संधारित एक सारणीकृत लेखा जिसमें उत्पादन क्षेत्र, कुल आवंटित क्षेत्र, किसी भी समय स्थानांतरित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र को खरीदने वाले व्यक्ति और प्राप्त क्षेत्र की प्रविष्टियां हों;";

(दो) खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(झ क) "उत्पादन क्षेत्र" से अभिप्रेत है, किसी लोक परियोजना के लिए प्रस्तावित क्षेत्र जिसमें सम्मिलित हैं सरकार और उसके उपक्रमों द्वारा संबंधित योजना क्षेत्र में लोक प्रसुविधाएं तथा सुविधाएं, आमोद-प्रमोद, परिवहन, गंदी बस्ती पुनर्वासन, लोक गृह निर्माण तथा कोई अन्य विशेष उपयोग, जो ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाए अधिसूचित किया जाएगा;";

(तीन) खण्ड (ण ण) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ण ण क) "प्राप्ति क्षेत्र" से अभिप्रेत है, संचालक द्वारा अधिसूचित ऐसा क्षेत्र जहां कोई व्यक्ति आधार फर्श क्षेत्र अनुपात की अपेक्षा अधिक फर्श क्षेत्र निर्माण हेतु अर्जित अधिकार का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात है;";

(चार) खण्ड (फ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(फ क) "विकास अधिकारों का अंतरण (टी डी आर)" से अभिप्रेत है, भूमि के स्वामी द्वारा अभ्यर्पित अथवा त्यजित क्षेत्र के बदले अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की निश्चित मात्रा उपलब्ध कराना, ताकि वह अधिक निर्मित-क्षेत्र का या तो स्वयं उपयोग कर सके अथवा उसे अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता वाले किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित कर सके;";

धारा १६ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १६ में, उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(५) धारा २९ की उपधारा (३), धारा ३१, धारा ३२ तथा धारा ३३ के अधीन क्रमश: उपांतरण, अपील, पुनरीक्षण तथा अनुज्ञा के व्यपगत होने के उपबंध, जो कि धारा ३० के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने या उससे इंकार करने वाले किसी आदेश को लागू होते हों, उपधारा (१) के अधीन किए गए किसी आदेश पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.".

धारा २३-क का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २३-क में,—

(एक) उपधारा (१) में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द "नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण" के पश्चात् शब्द "अथवा संचालक" अंत:स्थापित किए जाएं ;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संगम के दिए गए किसी ऐसे आवेदन पर" के स्थान पर, शब्द "किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संगम द्वारा संचालक को किए गए किसी ऐसे आवेदन पर" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में,—

(क) प्रथम स्थान पर आए शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर, शब्द "संचालक" स्थापित किया जाए;

(ख) शब्द "और उससे प्रभावित समस्त व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, राज्य सरकार, योजना को इस प्रकार उपांतरित कर सकेगी जिस प्रकार कि वह समुचित समझे" के स्थान पर, शब्द "और उससे प्रभावित समस्त व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, संचालक, प्रस्तावित उपांतरण से संबंधित समस्त दस्तावेज अपने मत के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और, राज्य सरकार योजना को इस प्रकार उपांतरित कर सकेगी जैसी कि वह समुचित समझे" स्थापित किए जाएं.

धारा २३-ग और २३-घ का अंत:-स्थापन.

६. मूल अधिनियम की धारा २३-ख के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

विकास अधिकार प्रमाण-पत्र के रूप में अतिरिक्त निर्माण योग्य फर्श स्थान.

"२३-ग. जहां कोई भूमि उत्पादन क्षेत्र का भाग है, वहां सरकार या उसका उपक्रम जो कि किसी लोक परियोजना का क्रियान्वयन अभिकरण है, भूमि स्वामी को विकास अधिकार प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा.

परियोजना क्षेत्र में अतिरिक्त निर्माण योग्य फर्श स्थान.

२३-घ. जहां कोई भूमि, शासन द्वारा अधिसूचित किसी परियोजना प्रभावित क्षेत्र का भाग है, वहां अधिकतम अनुज्ञेय अतिरिक्त निर्माणयोग्य क्षेत्र का प्रथम पचास प्रतिशत केवल परियोजना प्राधिकरण से क्रय किया जा सकता है और शेष अतिरिक्त निर्माणयोग्य क्षेत्र, विकास अधिकार प्रमाण-पत्र के माध्यम से क्रय किया जा सकेगा.".

धारा ३४ का लोप.

७. मूल अधिनियम की धारा ३४ का लोप किया जाए.

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2017

क्र. 6320-78-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 14 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 14 OF 2017

THE MADHYA PRADESH NAGAR TATHA GRAM NIVESH (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of Section 1.
3. Amendment of Section 2.
4. Amendment of Section 16.
5. Amendment of Section 23-A.
6. Insertion of Section 23-C and Section 23-D.
7. Deletion of Section 34.

MADHYA PRADESH ACT

No. 14 OF 2017

THE MADHYA PRADESH NAGAR TATHA GRAM NIVESH (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017.

[Received the assent of the Governor on the 12th April, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 20th April, 2017.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017.

Amendment of Section 1.

2. In Section 1 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (4),—

(i) in clause (b), for semi colon,colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that prior no objection certificate from Commanding Officer is required for obtaining planning permissions in the area declared and notified as restricted area under the provision of the Work of Defence Act, 1903 (No.3 of 1903);";

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) land under the control of railway administration under the Railways Act, 1989 (No. 24 of 1989).".

Amendment of Section 2.

3. In Section 2 of the principal Act,—

(i) after clause (g), the following clauses shall be inserted, namely :—

"(ga) "Development Rights Certificate (DRC)" means a certificate granting transferable development rights to its holder and issued by an authority authorised for this purpose by the State Government;

(gb) "DRC Account" means a tabulated account maintained by the authority, having entries of generating area, total allotted area, transferred area at any point of time, the person purchasing such area and the receiving area;";

(ii) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely :—

"(ia) "generating area" means the area proposed for a public project, including public amenities and facilities, recreation, transportation, slum rehabilitation, public housing and any other special use by the Government and its undertakings in the respective planning area, which shall be notified in such form as may be prescribed;";

(iii) after clause (oo), the following clause shall be inserted, namely :—

"(ooa) "receiving area" means an area notified by the Director where any person is permitted to use an acquired right to build more floor area than base floor area ratio;";

(iv) after clause (v), the following clause shall be inserted, namely :—

"(va) "transfer of the development rights (TDR)" means making available certain amount of additional built-up area in lieu of the area relinquished or surrendered by the owner of the land, so that he can use extra built-up area either himself or transfer it to another in need of the extra built-up area;";

Amendment of Section 16.

4. In Section 16 of the principal Act, for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely :—

(5) The provision of modification, appeal, revision and lapse of permission under sub-section (3) of Section 29, Section 31, Section 32 and Section 33 respectively, which are applicable to an order granting or refusing permission under section 30 shall mutatis mutandis apply to an order made under sub-section (1).".

Amendment of Section 23-A.

5. In Section 23-A of the principal Act,—

(i) in sub-section (1),—

(a) in clause (a), after the words "Town and Country Development Authority", the words "or the Director" shall be inserted;

(b) in clause (b), for the words "on an application from any person or an association of persons", the words "on an application from any person or an association of persons made to the Director" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2),—

(a) for the words "the State Government", occurring at the first place, the words "the Director" shall be substituted;

(b) for the words "and shall after giving reasonable opportunity to all persons affected thereby of being heard, the State Government may modify the plan as it deems appropriate", the words "and shall after giving reasonable opportunity to all persons affected thereby of being heard, the Director shall submit all the documents related to the proposed modification along with his opinion to the State Government and, the State Government may modify the plan as it deems appropriate", shall be substituted.

Insertion of Section 23-C and Section 23-D.

6. After Section 23-B of the principal Act, the following Sections shall be inserted, namely :—

Additional buildable floor space in the form of DRC.

"23-C. Where any land is part of generating area, the Governement or its undertaking which is the implementing agency of a public project may apply to the authority for issue of Developmant Right Certificates to the owner of the land.

Additional buildable floor space in the project area.

23-D. Where any land is part of any project influence area notified by the Government, first fifty percent of maximum permissible additional buildable area can only be purchased from the project authority and remaining additional buildable area may be purchased through DRCs.".

Deletion of Section 34.

7. Section 34 of the principal Act shall be deleted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.